<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1 खंड 1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/6/2021-डीजीटीआर

भारत सरकार, वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 14.07.2026

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला सं: एडी/एए/001/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "अर्ध-निर्मित नेत्र संबंधी लेंस" के आयात से संबंधित डंपिंगरोधी जाँच में प्रतिप्रेषण कार्यवाही।

1. माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टैट) ने एसिलोरलक्सोटिका एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी एवं अन्य के मामले में, जो चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित *"अर्ध-निर्मित नेत्र संबंधी लेंसों"* के आयात से संबंधित डंपिंगरोधी शुल्क से संबंधित है, अपने दिनांक 27 अप्रैल 2026 के अंतिम आदेश सं. 50783-50793/2026 के माध्यम से दिनांक 29 सितंबर 2022 के अंतिम निष्कर्षों को उस सीमा तक अपास्त कर दिया है जहाँ तक एसिलोर समूह को असहयोगी माना गया था। माननीय न्यायाधिकरण ने इस मामले को नए सिरे से विचार हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया है कि एसिलोर समूह के मामले की, उसे एक सहयोगी निर्यातक/उत्पादक मानते हुए, नए सिरे से जाँच की जाए तथा विधि के अनुसार उसके वैयक्तिक डंपिंग मार्जिन का निर्धारण किया जाए।

2. चूँकि एसिलोर समूह के संबंध में डंपिंग मार्जिन के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर पुनर्विचार हेतु यह मामला नामित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया है, अतः प्राधिकारी ने

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त समझे गए प्रक्रम से प्रतिप्रेषण कार्यवाही आरंभ कर दी है। प्राधिकारी अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत जानकारी की नए सिरे से जाँच करेगा तथा डंपिंगरोधी नियमों के उपबंधों के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षों को अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। प्राधिकारी एसिलोर समूह को सहयोगी निर्यातक/उत्पादक मानते हुए उसके सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग मार्जिन का निर्धारण करने हेतु अग्रसर होगा।

3. सभी हितबद्ध पक्षों से अपेक्षित है कि वे सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर स्वयं को पंजीकृत करें। हितबद्ध पक्षों से प्राप्त सभी संप्रेषण एवं अभ्यावेदन उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला सं: एडी/एए/001/2026 **(AD/AA/001/2026)** के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएँगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभ्यावेदन का विवरणात्मक भाग खोजने-योग्य (सर्चेबल) पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में तथा आँकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

4. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी इस आरंभन अधिसूचना, डंपिंगरोधी नियम, 1995 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित प्रपत्र एवं रीति में, इस आरंभन अधिसूचना में विहित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जाँच से संबंधित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

5. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले किसी भी पक्ष से अपेक्षित है कि वह उसका गैर-गोपनीय संस्करण अन्य पक्षों को उपलब्ध कराए।

6. हितबद्ध पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नजर रखें। हितबद्ध पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे विषयगत जाँच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने तथा समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में सूचित बने रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) पर नियमित रूप से जाएँ।

7. किसी हितबद्ध पक्ष द्वारा सूचना तक पहुँच से इनकार किए जाने अथवा अन्यथा किसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर या इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान न किए जाने, अथवा जाँच में पर्याप्त रूप से बाधा डाले जाने की स्थिति में, प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है और केंद्र सरकार से ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो उपयुक्त समझी जाएँ।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी